

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 151/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टाटा केपिटल हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय- 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनशूला, बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई।

प्रार्थी
वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार जैन,

पता :- प्लेट नम्बर एस-2, द्वितीय तल, प्लॉट नम्बर 134, महाराजा प्राईम विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

एवं प्लेट नम्बर 526/162, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर।

एवं 2241, मणिहारों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर।

एवं एकता पब्लिसिंग हाउस, 526/162, ब्रह्मपुरी रोड, सैनी वाटर सप्लायर्स के पास, जयपुर।

2. श्रीमती एकता जैन,

पता :- प्लेट नम्बर एस-2, द्वितीय तल, प्लॉट नम्बर 134, महाराजा प्राईम विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

एवं प्लेट नम्बर 526/162, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर।

3. श्री हितेश जैन,

पता :- प्लेट नम्बर 526/162, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर।

एवं प्लेट नम्बर एस-2, द्वितीय तल, प्लॉट नम्बर 134, महाराजा प्राईम विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित:- श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.10.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 134 विवेक विहार योजना, न्यू सांगानेर रोड, जिला जयपुर पर महाराजा प्राईम विल्डिंग पर स्थित प्लेट नम्बर एस-2, द्वितीय तल क्षेत्रफल 1215 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल 38,25,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदान उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 17 जून 2021 को क्रम संख्या 09 पर सस्पेंसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 38,25,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मग ब्याज कुल 42,41,769/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.06.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 134 विवेक विहार योजना, न्यू सांगानेर रोड, जिला जयपुर पर महाराजा प्राईम बिल्डिंग पर स्थित प्लेट नम्बर एस-2, द्वितीय तल क्षेत्रफल 1215 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाने की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दर्ज हो।
आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को सारे इजलास सुनाया गया।



(राजेश विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर